कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या /अधिष्ठान/दो–29/2024–25 दिनांक 24 अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में की गयी व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या–198739/XXX(2)/E–33080 दिनांक 14.03.2024 एवं शासनादेश संख्या–229265/XXX(2)/2024/E–33080दिनांक 31.07.2024 के आलोक में परिवहन आयुक्त विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संतुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2024 को सम्पन्न हुई।

2. उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत **'प्रधान सहायक'** संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों/तथ्यों का संज्ञान लिया गया। प्रधान सहायक संवर्ग में कुल कार्यरत 53 कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 25 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 04 कार्मिक, इस प्रकार कुल 29 कार्मिक अनुमोदित मानकानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं, किन्तु चूंकि शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु 04 कार्मिक एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु कोई भी कार्मिक पात्र नहीं है। दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी कार्मिक आगणित न होने के दृष्टिगत संवर्ग में शत–प्रतिशत अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने हैं।

3. स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 05.07.2024 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।

4. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों में से पात्रता क्रमांक 01, 04, 06 एवं 08 पर अंकित कार्मिक अधिनियम की धारा 17(2)(घ) में विहित व्यवस्थानुसार मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारी, क्रमांक 03, 07, 09, 11, 12 एवं 13 पर अंकित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7(घ)(तीन) में विहित व्यवस्थानुसार गम्भीर रोग की श्रेणी में होने तथा क्रमांक 10 पर अंकित कार्मिक विजलेंस जांच हेतु अभिरक्षा मे निरूद्ध होने के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधान सहायक संवर्ग में सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 04 कार्मिक, स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (1)(7) में विहित व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर 01 कार्मिक एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 1 पर अंकित कार्मिक अधिनियम की धारा 17(2)(घ) में विहित व्यवस्थानुसार मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारी एवं दुर्गम में ही रहने के इच्छुक होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुये दुर्गम से सुगम क्षेत्र में 03 कार्मिक, इस प्रकार कुल 08 कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति की गई।

5. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत **'प्रधान सहायक'** संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 एवं 4 (नवीन तैनात स्थल) में अंकित पद/कार्यालय के सापेक्ष किया जाता हैः–

(क) सुगम से दुर्गम :

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को सुगम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	
1	संजय पुण्डीर	02	16 वर्ष 01 माह	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	प्रस्तुत विकल्पों में प्रथम विकल्प में पद रिक्त न होने के कारण द्वितीय विकल्प आबंटित।
2	सरिता बहुगुणा	05	15 वर्ष 05 माह 12 दिन	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	प्रस्तुत विकल्पों में प्रथम विकल्प आबंटित।
3	खष्टी बल्लभ जोशी	14	15 वर्ष 05 माह	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प आवंटित

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को सुगम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	
4	हरिन्दर सिंह बाफिला	15	15 वर्ष 05 माह	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रानीखेत	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प आवंटित

(ख) अनुरोध के आधार पर :

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मनोज सिंह रावत	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (1) में विहित व्यवस्थानुसार विकलांगता की श्रेणी में होने के कारण सुगम कार्यालय कोटद्वार में रिक्त पद के सापेक्ष।

(ग) दुर्गम से सुगम :

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	गोकुल सिंह देउपा	2	05 वर्ष 09 माह 15 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प आवंटित
2	अनिल सिंह रावत	3	06 वर्ष 01 माह 18 दिन	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	प्रस्तुत विकल्पों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विकल्प में पद रिक्त न होने के कारण चतुर्थ विकल्प आबंटित।
3	संजय तिवाडी	4	04 वर्ष 09 माह 15 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	प्रस्तुत विकल्पों में प्रथम विकल्प में पद रिक्त न होने के कारण द्वितीय विकल्प आबंटित।

6. उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने नवीन तैनाती के स्थल/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें।

7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्याः 1230 (1)/समदिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
5. सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
6. सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
7. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।